1/9/25 पत्रावली पेश हुई। अपीली को पत्रावली बैक बाद तामिल प्रस्तुत। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/9/25 को पेश हो।

28/9/25 पत्रावली पेश हुई। दुबारा पत्रावली दिनांक 14/10/2025 को पेश हो।

14/10/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान् बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे मु० निवेदन किया की अति आवश्यक कार्य वश दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र सं. 199/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 LR Act अनाम रामप्रकाश बनाम तहसीलदार पीपाड़ शहर अंक बजरी अंक पैरवी खारिज हो गया जिसे पुनः रिस्टोर कर नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया गया। पत्रकार को प्रार्थना पत्र पुनः रिस्टोर किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वकील प्रार्थी का उद्धृत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-9 नियम-4 CPC स्वीकार किया जाता है। मूल प्रार्थना पत्र संख्या 199/2023 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से बाहर हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर